कार्यालय अधिष्ठाता
भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति, चिकित्सा महाविद्यालय
राजनांदगॉव (छत्तीसगढ़)

कमांक / 1520 / रखरखाव / 2021–22 राजनांदगांव, दिनांक 15/03/2022

वाटर कूलर एवं आर.ओ. / यू.वी. सहित वार्षिक रखरखाव हेतु सी.एम.सी. अनुबंध निविदा शर्तो का सही अध्ययन कर निविदा फार्म जमा करें

1. **निविदा फार्म बिकी प्रांरभ होने की तिथि – 21/03/2021 कार्यालयीन समय से ।**
2. **निविदा फार्म बिकी की अंतिम तिथि – 1[illegible]/04/2022 सायंकाल 5.00 बजे तक ।**
3. **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि – 18/04/2022 दोपहर 3.00 बजे तक ।**
4. **निविदा खोलने की तिथि – 18/04/2022 सायंकल 4.00 बजे ।**
5. **निविदा प्रपत्र की मूल्य राशि – 500.00 (रू0 पॉच सौ मात्र, वापसी अयोग्य)**

---

1. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। प्रपत्र में प्रविष्टि पूर्णकर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. निविदाकार को भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के परिसर में स्थापित वाटर कूलर तथा आर.ओ. / यू.वी. सहित वार्षिक रखरखाव सी.एम.सी. (कम्पलीट बॉडी) से संबधित सम्पूर्ण कार्य करना है। वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) के अंतर्गत वाटर फिल्टर (आर.ओ.सिस्टम) एवं वाटर कूलर की मरम्मत का सम्पूर्ण कार्य, वाटर फिल्टर का पार्ट्स खराब होने पर (कम्पलीट बॉडी सहित, सभी कन्जुमेंबल एवं मशीनरी पार्ट्स) स्वंय के व्यय पर निविदाकार को बदलना है। आर.ओ. मशीन एवं वाटर कूलर की मरम्मत, साफ–सफाई, सभी कन्जूमेंबल सामग्री, पंप, मोटर आदि स्वंय के व्यय पर निविदाकार को बदलना होगा। **महाविद्यालय द्वारा मशीनरी खराब होने एवं कन्जूमेंबल एवं अन्य किसी भी सामग्री हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।**
3. जी.एस.टी.की दरें शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार देय होगी।
4. आयकर एवं जी.एस.टी. का टी.डी.एस. की कटौत्री नियमानुसार किया जावेगा।
5. निविदा की दर स्पष्ट रूप से कम्प्यूटर टंकित कर संलग्न निविदा प्रपत्र में भरकर जमा करनी होगी।
6. भुगतान शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देश एवं प्राप्त आबंटन के अनुसार किया जावेगा ।

7. बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा । निविदा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद न्यायालीन प्रक्रिया राजनांदगांव न्यायालय के अधीन रहेंगे।
8. टेण्डर की तकनीकी अर्हताओं की पूर्ति हेतु निम्नांकित दस्तावेज (स्वहस्ताक्षरित एवं फर्म के मुद्रा सहित) लिफाफा में रखना होगा :–
   लिफाफा – A (तकनीकी लिफाफा)
   (I) निविदा की प्रति।
   (II) पैन कार्ड की छाया प्रति।
   (iii) वित्तीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 की स्थिति में आयकर रिर्टन की छायाप्रति।
   (iV) वाणिज्य कर विभाग का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण की छायाप्रति।
   (Vi) निविदा निक्षेप की राशि (रूपये 5000/–) का एफ.डी.आर, या बचत पत्र या बैक ड्राफ्ट।
   (Vii) निविदा फार्म राशि रूपये 500/– क्रय करने की ओरिजनल मनी रसीद।
   (Vii) दुकान/प्रतिस्थापन एक्ट के अंतर्गत फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र (गुमास्ता प्रमाण पत्र) की छायाप्रति।
   (Viii) शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय/संस्था में वाटर फिल्टर सह आर.ओ./यू.व्ही. के वार्षिक रखरखाव का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र या कार्य आदेश की छायाप्रति।
9. लिफाफा **"A"** में रखें जाने वाले समस्त अभिलेख के ऊपर सील एवं हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।
10. लिफाफा – B (दर प्रपत्र का लिफाफा)
11. निविदा निक्षेप की राशि रूपये 5000/– (पॉच हजार रूपये) नगद स्वीकार न की जाकर एफ.डी. आर. या बचत पत्र या बैक ड्राफ्ट. के रूप में ही स्वीकार की जायेगी, जो कि राष्ट्रीयकृत बैक का होना आवश्यक है। यह **"DEAN BRABVM, MEDICAL COLLEGE RAJNANDGAON "** के पक्ष में देय होगी।
12. सीलबंद लिफाफा A व सीलबंद लिफाफा B को एक बड़े लिफाफे "C" में रखकर सीलबंद करेगें तथा इसके ऊपर " वाटर फिल्टर सह आर.ओ./यू.व्ही. मशीन के रखरखाव" संबंधी निविदा 2021–22 अंकित होगा।
13. लिफाफा "C" के ऊपर फर्म का सील व नाम अंकित लिखा जाना होगा।
14. निविदा प्रस्तुत करने का अभिप्राय यह होगा कि व्यवसायी को निविदा की समस्त शर्ते स्वयमेंव स्वीकार है।
15. दर अनुबंध (Rate Contract) हेतु निविदा प्रपत्र "B" संलग्न है। व्यवसायी को निर्धारित कॉलम में अपनी दरें एवं जीएसटी का प्रतिशत सहित प्रस्तुत करनी होगी।
16. दर के लिये प्रत्येक पेज पर फर्म की सील व हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
17. निविदा प्रपत्र के दर एवं सामग्री के नाम, स्पेशीफिकेशन में किसी प्रकार की कॉट–छांट नहीं होगी। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
18. निविदा की अवधि अनुबंध उपरान्त एक वर्ष तक मान्य होगी। दोनो पक्षों की सहमति के आधार पर अनुबंध की अवधि अतिरिक्त एक वर्ष के लिये आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है या एक वर्ष पश्चात् नये टेण्डर की प्रकिया पूर्ण होने तक कुछ अवधि के लिये भी बढ़ाया जा सकता है।
19. ऐसे फर्म/संस्थान जिसके विरूद्व कोई न्यालयीन प्रकरण विचाराधीन है या जिसे शासन द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया है ,निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं है।
20. निविदा नियत तिथि 18/04/2022 में दोपहर के 3:00 बजे के पूर्व शासकीय **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर/स्वंय के द्वारा** अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अधिष्ठाता, भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव, पेण्ड्री, जिला राजनादंगांव छ.ग. में पहुंच जाना चाहिए । निविदा उसी कार्य दिवस में निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा दिनॉक .... शाम 4:00 बजे क्रय समिति

के समक्ष खोली जायेगी । शासकीय अवकाश की स्थिति में दूसरे कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी ।

21. स्वीकृत निविदाकार द्वारा जमा करायी गयी अमानत राशि का एफ.डी.आर./बैक ड्राफ्ट निविदा वैधता दिनांक की समाप्ति तक जमा रखा जाएगा जिस पर किसी भी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत निविदाकार की अमानत राशि निविदा संबंधी समस्त प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त लिखित आवेदन पत्र के बाद वापस किया जाएगा ।
22. किसी प्रकार का काउण्टर शर्ते मान्य नहीं होगा।
23. निविदाकार को 50/– रूपये के न्यायालिक स्टाम्प पेपर में वाटर फिल्टर सह आर.ओ. एवं वाटर कूलर के वार्षिक रखरखाव का अनुबंध करना होगा।
24. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् संबंधित फर्म अपना कार्य करना शुरू कर देगी।
25. हर कार्य का लेखा –जोखा निविदाकर्ता को एक कार्यपंजी(लॉग बुक) के माध्यम से अनुरक्षण करना होगा । सभी मशीन की पूरी जानकारी लॉग बुक में वर्णन करना होगा।
26. आर.ओ.सिस्टम एवं वाटर कूलर खराब होने के सूचना उपरांत 24 घंटे के भीतर तक मरम्मत किया जाना आवश्यक है। मरम्मत नही किये जाने पर प्रतिदिन 200/– रूपये पेनाल्टी ली जायेगी।
27. प्रत्येक माह वाटर फिल्टर आर.ओ सिस्टम का चेकिंग संबंधी कार्य किया जाना आवश्यक है। टी.डी. एस.का लेवल निर्धारित स्तर पर रखा जाना होगा।
28. निकाले गये स्पेयर पार्टस महाविद्यालय की सम्पत्ति होगी।
29. निविदाकर्ता को सी.एम.सी अवधि में सारे वाटर कूलर एवं आर.ओ.सिस्टम चालू हालत में रखने होंगे। निविदा पूर्ण होने के पश्चात सारे वाटर कूलर एवं आर.ओ. चालू हालत में महाविद्यालय प्रशासन को सौंपना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में रखरखाव कार्य का देयक राशि का भुगतान नहीं की जावेगी।
30. प्रत्येक 03 माह में आर.ओ. सिस्टम की सभी प्रकार की कन्जुमेंबल सामग्री को बदलना अनिवार्य होगा । सर्विस रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी से सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।
31. सफल निविदाकर्ता को भुगतान प्रत्येक 03 माह के उपरान्त उनकी सेवा से संतुष्ट होने के उपरान्त ही किया जायेगा। वार्षिक अनुबंध आधार पर प्रत्येक 03 माह के अंतराल में 25 प्रतिशत राशि का ही भुगतान देयक प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। वार्षिक अनुबंध आधार पर न्यूनतम स्वीकृत राशि का 04 किश्तों में भुगतान किया जायेगा, जिसमें नियमानुसार टैक्स की कटौती की जावेगी।
32. महाविद्यालय की जितने वाटर फिल्टर एवं वाटर कूलर के वार्षिक रखरखाव का अनुबंध किया जाना है। दर प्रपत्र में कुल उतने वाटर आर.ओ.सिस्टम तथा वाटर कूलर के वार्षिक रखरखाव की कुल राशि ही भरें। कुल वार्षिक राशि के आधार पर न्यून्तम राशि वाले फर्मों से अनुबंध किया जायेगा।
33. वाटर फिल्टर/आर.ओ. एवं वाटर कूलर मशीन की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
34. सफल निविदकर्ता को सुरक्षा मापदंड का पालन करते हुये कार्य कराना होगा। वाटर फिल्टर आर. ओ एवं वाटर कूलर की मरम्मत संबंधी कार्य के दौरान कार्य करने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अप्रिय स्थिति के लिये संबंधित फर्म जिम्मेदार होगा। चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नही रहेगा।
35. सफल निविदाकर्ता को सेवा की तारीख एवं सेवा के लिये नियत तारीख दिखाने वाले स्टिकर आर. ओ. एवं वाटर कूलर पर चिपकाना होगा ।
36. निविदाकार महाविद्यालय में स्थित वाटर फिल्टर आर.ओ. एवं वाटर कूलर सिस्टम का निविदा भरने के पूर्व कार्यालयीन समय एवं कार्य दिवस में निरीक्षण कर सकते है। ताकि कार्य की प्रवृत्ति एवं मशीनों से अवगत हो सकें।

15-3-2022

अधिष्ठाता
भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्मृति
चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव